सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 80/प्रेसनोट/2021 **13 फरवरी 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-सरायमीर

अपहृत नाबालिंग लड़की के हत्या काण्ड का सफल अनावरण

दिनांक 11/02/2021 को श्रीमति चन्द्रकला देवी पत्नी रामचन्द्र यादव निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा गाँव के ही जित्तू उर्फ जितेन्दर पुत्र मन्नू द्वारा मेरी लड़की का अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 15/2021 धारा 363/366 भादवि बनाम जित्तू उर्फ जितेन्दर पुत्र मन्नू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक सरायमीर को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में में नामित अभियुक्त को उसके घर से थाना लाकर पुछताछ किया गया तो पहले वह इधर-उधर की बाते कर बहकाता रहा। पुनः कडाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 11.02.2021 को दोपहर में अपनी भतीजी काल्पनिक नाम (कविता) को उसके खेत से पाईप लाने के बहाने बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर इरफान के भट्ठे के तरफ लाया। वहां मोटरसाइकिल खड़ी कर अपने मटर व सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। वह घटना को घर वालों को बताने को कह रही थी इसीलिए मैंने अपने गमछें से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया। घटना को छिपाने के लिए अपने साथी प्रांजल यादव उर्फ बन्ने पुत्र रमाशंकर यादव निवासी असई मोलनापुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ को बुलाकर मृतका के शव को पास ही के कुएं में डाल दिया है चल कर बरामद करा देता हूँ। अभियुक्त के साथ मौंके पर जाकर उक्त कुएं से शव अर्धनग्न हालात में बरामद कर सभी आवश्यक कार्यवाहिया मौंके पर पूर्ण कर शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया था। साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 366 भादवि का लोप करते हुये धारा 302/201/376(3) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचन से अभियुक्त प्रांजल यादव उर्फ बन्ने पुत्र रमाशंकर यादव नि0 असई मोलनापुर थाना दीदारगंज का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त जित्तू उर्फ जितेन्दर पुत्र मन्नू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर आजमगढ़ को मौंके से ही दिनांक 12.02.2021 को समय करीब 13.35 बजे व अभियुक्त प्रांजल यादव उर्फ बन्ने पुत्र रमाशंकर यादव निवासी असई मोलनापुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ को आज दिनांक 13.02.2021 को उसके घर से समय 05.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 15/2021 धारा 302/201/376(3) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. जित्तू उर्फ जितेन्दर पुत्र मन्नू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर आजमगढ़।

2. प्रांजल यादव उर्फ बन्ने पुत्र रमाशंकर यादव निवासी असई मोलनापुर थाना दीदारगंज आजमगढ़।

बरामदगी

मृतका का चप्पल, एक अदद खूनालूद कपड़ा, एक अदद गमछा।

घटना का अनावरण व अभियुक्तो को गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

प्रथम टीमः - प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 बिहंगल यादव, का0 नीरज कुमार शाह, का0 अर्जुन प्रसाद, म0का0 श्रुति पाठक, म0का0 सपना तिवारी

द्वितीय टीमः-वरिष्ठ उ0नि0 शमशेर यादव मय हमराह हे0का0 हरवंश सिंह, का0 रत्नेश प्रसाद

तृतीय टीमः- उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह का0 राहुल कुमार यादव, का0 विकाश प्रजापति।

चतुर्थ टीमः-उ0नि0 रामप्रसाद यादव मय हमराह का0 नागेन्द्र यादव, का सर्वेश कुमार।